भारत में योजनाकाल में ग्रामीण विकास

राजेन्द्र कुमार मीना
व्याख्याता अर्थशास्त्र
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज)

शोध सारांश
स्वाधीनता के समय से ही भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र रहा है और इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना भारत में नियोजित विकास का आवश्यक उद्देश्य रहा है तथा यह महसूस किया गया कि गरीबी उन्मूलन की रणनीति विकास की प्रक्रिया में उत्पादक रोजगार अवसरों की वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए। विकास की नीतियाँ बनाने में गरीबी उन्मूलन, अज्ञानता, खत्म करने, रोग उन्मूलन, असमानता को समाप्त करने और अवसरों की उपलब्धता पर मुख्य बल दिया गया।

मुख्य शब्द: स्वाधीनता, कल्याणकारी, उन्मूलन, असमानता

प्रस्तावना
ग्रामीण विकास में लोगों की आर्थिक दशा में सुधार के साथ सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है। ग्रामीणों को आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने के कम में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की आर्थिक भागीदारी योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों का वेहतर कार्यक्रम तथा आसानी से ऋण उपलब्ध कराना शामिल है।
आजादी के बाद नियोजित विकास को समयबद्ध तरीके से पूरा करने हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उनका भलीभांति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)
इस योजना में समग्र कृषि विकास को लक्ष्यगत करते हुए सिंचाई और बिजली के विकास पर विशेष बल दिया गया । खाद्यान्न की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना उस समय की आवश्यकता थी। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जोकि ग्रामीण विकास के इतिहास में मील का पत्थर था । इसके अतिरिक्त 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (1953) ग्रामीण विकास को दिशा प्रदान करने व दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किए गए। इस योजना में कुल योजना व्यय का लगभग 39 प्रतिशत ग्रामीण विकास कायक्रमों पर व्यय किया गया था ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956 - 61)
यह योजना कृषि के स्थान पर उद्योग प्रधान रही । इसके फलस्वरूप पहली योजनाकाल में जो कृषि में सुधार परिलक्षित हुआ था वह लगभग रूक सा गया और तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961 - 66) में पुनः कृषि विकास पर बल देना पड़ा, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई योजनाओं को लागू किया गया जिनमें वर्ष 1957 में खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण आवासीय परियोजना, बहुउद्देश्योय अनुसूचित जाति विकास खण्ड कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया, वर्ष 1960 में विशेष पैकेज कार्यक्रम, गहन जिला कृषि कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

तृतीय पंचवर्षीययोजना (1961 - 66)
इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करने हुए वर्ष 1962 में ग्रामीण उद्योग, परियोजन वर्ष 1964 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, वर्ष 1966 में कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम तथा कुआँ निर्माण कार्यक्रम आदि संचालित किए गए। प्रथम और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में कृषि का विकास कर खाद्यान्न की

स्थिति में सुधार लाना था और यह कार्य कृषकों के माध्यम से ही सम्भव था । इस प्रकार कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का अधिकांश लाभ कृषकों को ही मिला अर्थात् इस सोच का परिणाम यह रहा कि विकास का लाभ केवल उन गिने-चुने लोगों तक ही पहुँच पाया जो जागरूक तथा थे, परन्तु समाज का वह वर्गे जो दीन-हीन गरीब, साधन विहीन और अशिक्षित था, वह समुचित लाभ प्राप्त नहीं कर सका और इस प्रकार गाँवों में विशेष रूप से गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति और जटिल होती चली गई। तृतीय योजना पूरी होने पर आर्थिक बदहाली के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तीन वर्ष के अन्तराल के बाद लागू हुई। इस योजना के दौरान सन् 1962 में चीन से तथा सन् 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण ग्रामीण विकास की दिशा में सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969 - 74)

इस योजना में ग्रामीण विकास की पुरानी अवधारणा में बदलाव लाते हुए कृषि को पुनः प्रमुख स्थान दिया गया। इसमें छोटे और सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया तथा इनके लिए ग्रामीण विकास के कुछ नए कार्यक्रम आरम्भ किए गये। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के उद्देश्य से संचालित किए गए कार्यक्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक शोध एवं परिवार नियोजन आंदोलन के चलते सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय किया गया।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974 - 79)

इस योजना में श्रम कल्याण एवं दस्तकारी, एकीकृत ग्रामीण विकास, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र विकास संबंधी कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु लघु कृषक विकास एजेन्सी एवं इसकी शाखाएँ सम्पूर्ण देश में खोली गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार हेतु 1977 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम आरम्भ किये गए। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत के पाँच अत्यन्त गरीब व्यक्तियों को चयनित कर 1978 में आरम्भ किये गये अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। इस योजना में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की अवधारणा को और आगे बढ़ाया गया। विज्ञान कांग्रेस में गरीबी उन्मूलन की विचारधारा उभर कर आयी और सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के उपायों पर सुझाव देने हेतु एक कार्यकारी समूह गठित किया गया जिसके सुझाव के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा एकीकत ग्राम विकास योजना को तैयार कर प्रथम चरण में देश के चुने हुए बीस अत्यधिक पिछड़े जनपदों में इसे लागू किया गया। 1979 किया गया। 1979 में इस योजना का पुनः विस्तार करते हुए देश के 2300 विकासखण्डों में आरम्भ किया गया तथा उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने पर इस योजना को 1980 में देश के समस्त 5488 विकासखण्डों में लागू किया गया। इस योजना में कुल योजना व्यय पर लगभग 24 प्रतिशत (9334 करोड़ रूपये) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय किये गये।

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85)

इस योजना में पोषण आहार ग्रामीण आवास एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सुव्यवस्थित एवं सुविचारक अवधारणा के तहत दोनों तरफ से प्रहार की रणनीति अपनाई गयी। इसमें पहले चरण में मजदूरी - परक रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएँ लागू की गयीं तथा दूसरे चरण में गरीबी पर दीर्घकालिक प्रहार हेतु स्वरोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को व्यवस्था की गयी। इस योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कुल योजना व्यय पर 26 प्रतिशत (28076 करोड़ रूपये) व्यय किये गये ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) इस योजना में ग्रामीणों और ग्राम पंचायतों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना आरम्भ की गयी। जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 80 प्रतिशत संसाधन ग्राम पंचायतों को सीधे हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवास संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु 1985 में इंदिरा आवास योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना में ग्रामीण विकास हेतु योजना व्यय का 24 प्रतिशत अर्थात् (51349 करोड़ रूपये) व्यय किये गये।

आठवी पंचवर्षीय योजना (1992-97)

इस योजना में सरकारी प्रतिबद्धताएँ बदलने और देश में एक उदार अर्थव्यवस्था को लागू किए जाने के फलस्वरूप योजनाओं के बारे में बढ़ती अनिश्चितताओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा लेकिन फिर भी इस योजना के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ कृषि और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया। इस योजनाकाल में ग्रामीण विकास के अहम उद्देश्य से गरीब व ग्रामीण परम्परागत शिल्पकारों को उनकी आय में वृद्धि कराने के उद्देश्य से उन्नत किस्म के टूल किट्स उपलब्ध कराने हेतु उन्नत टूल किट्स योजना 1992, ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण पेयजल योजना -1996 दूर-दराज के पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों के कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु ग्रामीण अनाज बैंक योजना 1997 जैसी अनेक नई योजनाओं को प्रारम्भ किया गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997 - 2002)

इस योजना में जनभागीदारी से विकास कार्यक्रम कियान्वित करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन के लिए संचालित की जाने वाली योजनाओं के क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, क्योंकि अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को उनकी प्रभावकारिता तथा यथायित्व बढाने के लिए पुनर्गठित किया जाना आवश्यक समझा गया । यह भी अनुभव किया गया कि गरीबी उन्मूलन के अहम् उद्देश्य से संचालित विभिन्न योजनाओं की विविधता के कारण उद्देश्य की पूर्ति में वांछित सफलता नहीं है। अतः स्वरोजगार के उद्देश्य से संचालित विभिन्न योजनाओं यथा - एकीकृत ग्राम विकास योजना, ट्राइसेम योजना, ड्वाकरा योजना, उन्नत टूल किट्स, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कूप योजना को समाप्त कर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - 1999 के नाम से यह नई योजना अवधारित की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्व संचालित योजनाओं की भाति मात्र ऋण एवं अनुदान सुलभ कराने की योजना नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य यह वातावरण सृजित करना है जिसमें स्वरोजगारी स्वयं को एक उद्यमी के रूप में विकसित कर सके। इसके निमित्त योजना में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, कौशल विकास एवं विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ढाँचे में सुधार, लाभकारी रोजगार और खाद्य सुरक्षा पर नए सिरे से जोर देने के लिए 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी प्रारम्भ की गई। इस योजना में पूर्व से संचालित दो योजनाओं - जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना को समाहित किया गया ।

ग्रामीण गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु संचालित की जा रही इन्दिरा आवास योजना की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने हेतु अब इस योजना में ग्रामीण कच्चे आवासों के स्तरोन्नयन को भी सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 को संचालित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल में जारी विकास योजना दृष्टिपत्र - 2025 के अनुसार वर्ष 2025 तक देश के सभी गाँव पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे। इनमें वर्ष 2009-10 तक देश के 1000 तक की जनसंख्या के वर्ष 2014-15 तक 500 तक की जनसंख्या के तथा वर्ष 2021-25 तक 250 तक ही जनसंख्या के सभी गाँव पक्की सड़कों से जोड़ दिये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इस योजना में ग्रामीण जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु स्वजलधारा कार्यक्रम, 2002 के नाम से एक नई योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख मकानों का निर्माण तथा कच्चे मकानों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

इस योजना में सभी गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में ग्रामीण विकास की रफ्तार तेज हुई। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के उद्देश्य से राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, 2005 तथा ग्रामीण स्तर पर बुनियादी संरचना के विकास हेतु 2005 में भारत निर्माण योजना आरम्भ हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम आरम्भ हुआ। किसानों की वर्षा की

कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु 2005 में वर्षा बीमा योजना भी आरम्भ हुई। ग्राम वासियों को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरम्भ हुई। दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन बढ़ाकर 76774 करोड रूपये किया गया।

विगत पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि एवं सहायक क्षेत्र तथा सिंचाई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु जो राशि व्यय की गई वह निम्नांकित सारणो से स्पष्ट है-

तालिका : पंचवर्षीय योजनाएँ एवं ग्रामीण विकास

(करोड़ रूपये में)

योजना	**कृषि एवं सहायक** क्षेत्र	सिंचाई योजनाओं	Dqy कुल योजना व्यय
प्रथम	**290**	**434**	**37**
द्वितीय	**549**	**430**	**21**
तृतीय	**1089**	**665**	**21**
चतुर्थ	**2320**	**1354**	**23**
पाँचवी	**4865**	**3877**	**22**
छठवी	**15201**	**10930**	**24**
सातवीं	**31510**	**16590**	**22**
आठवी	**72539**	**28296**	**20**
नौवीं	**84654**	**31220**	**24**
दसवीं	**98152**	**34665**	**27**

स्रोत :- आर्थिक नियोजन, भारत सरकार

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कृषि एवं सहायक क्षेत्र तथा सिंचाई योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कुल योजना व्यय की सर्वाधिक 37 प्रतिशत राषि व्यय की गयी जबकि अन्य योजनाओं में यह लगभग 25 प्रतिशत राशि ही व्यय की गई ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु खाद्य केडिट योजना, ग्रामवासियों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से ग्राम बाजार योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पशुधन बीमा योजना, ग्रामों में त्वरित संचार व्यवस्था हेतु रूरल बिजनेस हब योजना जैसी अनेक योजनाओं को बृहद स्तर पर संचालित किये जाने की घोषणाएँ की गयी हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के प्रबंधन को पंचायती राज संस्थाओं को सापने के लिए बढ़ावा दिया गया ।

निष्कर्ष —

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनओं के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्नशील है। ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु आधारभूत संरचनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है। ये आधारभूत संरचनाएं दो प्रकार की हैं। प्रथम भौतिक संरचना जिसमें सड़क व परिवहन व्यवस्था, विद्युत, सिंचाई व संचार साधन आते हैं तथा द्वितीय सामाजिक संरचना जिसमें आवास, स्वास्थ्य - शिक्षा, पेयजल पूर्ति, सफाई, गॉव के आभ्यंतरिक कार्यक्रम जैसे

शौचालय, नालियां, खड़ंजे आदि का निर्माण । ये सभी प्राथमिक अनिवार्य आवश्यकताएं हैं । सरकारी तंत्र की प्रशासकीय इकाईयाँ इन बुनियादी संरचनाओं को विकेंद्रित योजनाबद्ध ढंग से परिचालित करने के लिए जागरूक एवं कियाशील हैं। जिससे गाँव के उदय की संभावनाएं बलवती हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा भी बदला है । किन्तु समग्र विकास की दिशा में ठोस प्रयासों की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसके लिए सही नीति एवं नीयत के साथ - साथ सम्पूर्ण मॉनीटरिंग की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि योजना तो सरकार बना देती सरकार बना देती है। उसके लिए धनराशि भी आबंटित कर देती है, लेकिन योजना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो कियान्वयन प्रभावी न हों तो सब कुछ अर्थहीन है ।

अतः सरकार के साथ-साथ समस्त प्रशासन एवं आम आदमी की जागरूकता भी अत्यन्त आवश्यक है। तभी सच्चे अर्थों में भारत के सम्पूर्ण गॉव विकसित अवस्था में होंगे।

संदर्भ ग्रंथ

1. पोरवाल एवं अग्रवाल, भारतीय सांख्यिकी, इण्डस वैली पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2008
2. वर्मा एवं वडेरा ग्रामीण पंचायतीराज संस्थाएँ, युनिवर्सिटो पब्लिकेशन नई दिल्ली 2011
3. स्वामी गुप्ता, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रमेष बुक डिपो, जयपुर, 2009
4. अखिलेश एस. एवं शुक्ला संध्या, भारत में ग्रामीण विकास, गायत्री पब्लिकेशन रीवा, 2010
5. घोष शकर, सामान्य अध्ययन, यूनीक पब्लिकेशन, दिल्ली
6. पाण्डय पी. एन., ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर 2006